SJU Social Justice Union

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 19 अक्टूबर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 23

आयकर विभाग का 'वेलनेस' समूह में तलाशी अभियानः अब तक लगभग 93 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद

नईदिल्ली (आरएनएस)। आयकर विभाग ने 16 अक्टूबर को आयकर विभाग अधिनियम 1961 के तहत आंध्रप्रदेश के वरदइयापलेम में विभिन्न आवासीय परिसरों में पूरे साल 'वेलनेस' पाठ्यक्रम और दर्शनशास्त्र, अध्यात्म इत्यादि में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले एक समूह के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। आयकर विभाग का चेन्नई और बेंगलुरु में भी तलाशी अभियान चलाया गया।

1980 में एकात्मकता के दर्शन के साथ एक आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित समूह अब रियल एस्टेट, निर्माण, खेल इत्यादि क्षेत्रों में भारत सहित विदेशों में भी कार्यरत है। इस समूह का प्रबंधन और नियंत्रण इस समूह के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु और उनके बेटे के अधीन है। अध्यात्म और सेहत से जुड़े इन पाठ्यक्रमों में विदेशी लोग शामिल होते हैं, जिससे यह समूह बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। समूह को लेकर यह खुफिया जानकारी मिली थी कि समूह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भू-संपत्ति और विदेशी निवेश की जानकारियां छिपाता है। इस जानकारी के आधार पर आयकर विभाग का चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, वरदइयापलेम में 40 ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है।

तलाशी अभियान के दौरान आयकर विभाग को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यह समूह विभिन्न केन्द्रों और आश्रमों में निवेश की रसीदों को छिपाता रहा है। समूह के नकद संग्रह का हिसाब रखने वाले एक कर्मचारी के पास से ऐसे सबूत भी मिले हैं, जिनसे यह खुलासा होता है कि यह समूह बिना किसी रसीद के निवेश करता है और संपत्तियों की खरीदारी करता है। यह समूह बिना किसी दस्तावेज के संपत्तियों की बिक्री कर पैसे कमाता है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 और उससे आगे समूह के पास 409 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय होती रही है। तलाशी अभियान के दौरान आयकर विभाग की टीम को समूह के संस्थापक और उसके बेटे के आवासों और उनके एक परिसर से बड़ी मात्रा में नकद राशि और अन्य मूल्यवान वस्तुएं मिली हैं। तलाशी में समूह के ठिकानों से आयकर विभाग ने 43.9 करोड़ रुपये बरामद किये हैं।

तलाशी अभियान के दौरान नकद राशि के साथ-साथ आयकर विभाग को 2.5 मिलियन डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्राएं बरामद हुई जो लगभग 18 करोड़ रुपये के बराबर है। तलाशी में 26 करोड़ से ज्यादा मूल्य के लगभग 88 किलोग्राम सोने के गहने बरामद हुए। लगभग 5 करोड़ रुपये के 1271 कैरट के हीरे भी बरामद किये गये। अब तक लगभग 93 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है। समूह की अब तक की अनुमानित आय 500 करोड़ रुपये से अधिक है। तलाशी अभियान अब भी जारी है।

तलाशी के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि यह समूह भारत के साथ-साथ चीन, अमरीका, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात इत्यादि देशों की कंपनियों में निवेश करता है, जिन्हें भारत में चलाये जा रहे 'वेलनेस' पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशी लोगों द्वारा भी भुगतान किया जाता रहा है। आयकर विभाग इस तरह निवेश से भारत में कर योग्य आय के विदेशी कंपनियों में जाने के मामले की जांच कर रहा है।

महत्वपूर्ण एवं खास

चुनाव आयोग ने नासिक पश्चिम में पुलिस पर्यवेक्षक और चुनाव अधिकारी को हटाया

नईदिल्ली (आरएनएस)। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद नाशिक के पुलिस पर्यवेक्षक को 125 नाशिक (पश्चिम जिला) के एक चुनाव अधिकारी को हटा दिया गया है। पुलिस पर्यवेक्षक को अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करने की वजह से हटाया गया है। इसी तरह 125 नाशिक (पश्चिम जिला) की एक विधानसभा सीट पर मतदाताओं को पहचान पत्र समय से जारी करने के मामले में खराब प्रदर्शन के कारण वहां के एक चुनाव अधिकारी को भी हटा दिया गया है। इन अधिकारियों के स्थान पर नये अधिकारी अपना कार्यभार आज ही संभाल लेंगे।

ईपीएफओ कर्मचारियों को दिवाली पर मिलेगा डबल बोनस

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को दिवाली से पहले सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। ईपीएफओ के बी और सी श्रेणी के कर्मचारियों को 60 दिन का दिवाली बोनस दिया जाएगा। इसे लेकर श्रम मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) स्कीम के तहत 60 दिन का बोनस दिया जाएगा। सरकार ने 60 दिन का बोनस देने का निर्णय लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे प्रत्येक कर्मचारी को औसतन 7000 रुपये की बोनस मिलेगा। ये बोनस एक फॉर्मूले के तहत निकाला जाता है। प्रोडक्टिव्टी लिंक्ड बोनस के तहत 25 फीसदी राशि कर्मचारी के सैलरी एकाउंट और बाकी पीएफ अकाउंट में जाएगी।

देश में दर्ज नहीं हुए करीब 5.4 लाख टीबी मामले

नई दिल्ली (आरएनएस)। दुनिया में टीबी के सर्वाधिक मामले वाले आठ देशों में शुमार भारत में पिछले साल इस बीमारी के करीब 5.4 लाख मामले दर्ज नहीं हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीबी रिपोर्ट में यह बात कही गयी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में टीबी के मरीजों की संख्या में पिछले साल की तुलना में करीब 50,000 की कमी आयी। वर्ष 2017 में भारत में टीबी के 27.4 लाख मरीज थे जो साल 2018 में घटकर 26.9 लाख हो गये। प्रति 100,000 लोगों पर टीबी मरीजों की संख्या साल 2017 के 204 से घटकर साल 2018 में 199 हो गयी। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है,कि दुनियाभर में 30 लाख टीबी मामले राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम में दर्ज नहीं हो पाते हैं। भारत में 2018 में टीबी के करीब 26.9 लाख लाख मामले सामने आये और 21.5 लाख मामले (भारत सरकार के) राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत दर्ज किये गये। यानी 5,40,000 मरीजों के मामले इस कार्यक्रम में दर्ज नहीं हुए।

दिल्ली के विधायी इतिहास में पहली बार स्पीकर जाएंगे जेल

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली विधानसभा का एक महत्व है। इस विधानसभा ने विधायी मामलों में तमाम मानक कायम किए हैं और देश के विधानमंडलों में एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन दिल्ली की विधायी इतिहास में पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। दिल्ली की एक अदालत ने राजधानी के विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को दोषी करार देते हुए 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ-साथ उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है और एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार यह मामला 2015 में विधानसभा चुनाव के समय का है। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय भाजपा से जुड़े और लोकल बिल्डर मनीष घई ने गोयल के खिलाफ मतदान से एक दिन पहले, 6 फरवरी की रात अपने विवेक विहार स्थित घर में अपने समर्थकों के साथ जबरन घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया था।

10.5 करोड़ कैश का नहीं मिल रहा रिकॉर्ड, पीएमसी बैंक घोटाला में जांच टीम का खुलासा

मुंबई (आरएनएस)। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में चल रही जांच में एक बार फिर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच कर रही टीम के मुताबिक बैंक के रिकॉर्ड से कुल 10.5 करोड़ रुपये कैश गायब है। जांच टीम को छापेमारी के दौरान एचडीआईएलऔर इससे जुड़ी हुई कंपनियों के कई ऐसे चेक भी मिले हैं, जिसे कभी बैंक में जमा ही नहीं किया गया।

बताया जाता है कि इन चेक को जमा किए बगैर ही उन्हें कैश दे दिया गया। जांच टीम के मुताबिक, ये घोटाला जितना छोटा दिखाई दे रहा है उससे कहीं बड़ा है। अभी तक की

जांच के मुताबिक, पीएमसी घोटाला 4355 करोड़ का नहीं 6500 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है।

पीएमसी बैंक की आंतरिक जांच कर रही टीम को जो चेक मिले हैं, उनको देखने से पता चलता है कि 10 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी इन चेक से की गई है। बाकी के 50 लाख रुपये का अभी तक कोई हिसाब नहीं मिल सका है। इसके साथ ही अभी तक के अनुमान के मुताबिक, ये घोटाला भले ही 4355 करोड़ रुपये का लग रहा हो, लेकिन ये घोटाला 6500 करोड़ रुपये से ज्यादा का है।

जांच से पता चलता है एचडीआईएल और उससे जुड़ी कंपनियां कैश चाहती थीं। उन्होंने पिछले दो साल में बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस को चेक भेजे। थॉमस ने उन्हें चेक के बदले कैश दिए, लेकिन उन्हें बैंक में जमा नहीं कराया। बैंक के रिकॉर्ड बुक में इन चेकों की कोई एंट्री तक नहीं है। इस जांच से पता लगता है कि 10 करोड़ के ऊपर जिस भी रकम का अब तक कुछ पता नहीं चला है। उसे थॉमस ने अपने पास रख लिया था।

पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में हुए 6500 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में पूर्व एमडी जॉय थॉमस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही, कोर्ट ने पूर्व डायरेक्टर एस सुरजीत सिंह अरोड़ा को भी 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में दोनों को पेश किया गया। कोर्ट ने जॉय थॉमस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में और सुरजीत सिंह को 22 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित

» दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ होगा फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत नहीं देने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया।

दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ में बंद चिदंबरम ने शीर्ष अदालत में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उधर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपनी दलील में कहा कि चिदंबरम की महज उपस्थिति ही गवाहों को डराने-धमकाने के लिए काफी है, उन्हें कम से कम तब तक जमानत नहीं दी जाए जब तक अहम गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती। सीबीआई ने कहा कि आज ऐसा दौर है जब आर्थिक अपराधों के आरोपी देश से भाग रहे हैं, एक राष्ट्र के रूप में हम इस समस्या से जूझ रहे हैं।

दो बेटियों के बाद तीसरी भी बेटी ही हुई तो चुरा लिया किसी और का बेटा

मुंबई,18 अक्टूबर (आरएनएस)। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक चौंकाने वाली वारदात हुई। यहां पर एक अस्पताल से बच्चा चोरी की खबर पर अस्पताल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद पड़ताल शुरू हुई तो सीसीटीवी में बच्चा चोरी करने वाला शख्स दिख गया और उसको पकड़ भी लिया गया। उसके पास से बच्चा भी बरामद हो गया। सभी को लगा बात खत्म लेकिन इस बच्चे की चोरी करने के पीछे जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही है वहीं इस शख्स ने लड़के की चाह में अपनी ही नवजात को अस्पताल में बेसहारा छोड़ कर एक मां की गोद से उसका बेटा चुरा लिया।

जानकारी के अनुसार धारुर गांव के सैफ सैख की पत्नी सफीना ने अस्पताल में 9 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया। सफीना अस्पताल में वार्ड नंबर 6 में भर्ती थी। सोमवार को वह कुछ देर के लिए अस्पताल में अकेली थी, दोपहर 12 बजे वह बच्चे के साथ सो गई. जब उसकी आंख खुली तो बच्चा उसके पास नहीं था. इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया. पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस अस्पताल पहुंची ही थी कि वार्ड नंबर 8 में एक लावारिस बच्ची मिलने की खबर आई.

रंजन गोगोई ने केंद्र को भेजी बोबडे को अगले सीजेआई बनाने की सिफारिश

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले सुनाए हैं। वहीं अपने रिटायरमेंट से पहले राम मंदिर का मामला भी सुलझाना चाहते हैं।

रंजन गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 को देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार संभाला था और आगामी 17 नवंबर को वो सेवानिवृत्त होंगे। जिसके बाद देश के नए मुख्य न्यायधीश को लेकर चर्चा जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ

जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को अगला चीफ जस्टिस बनाने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है। प्रक्रिया के अनुसार, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ही अगले चीफ जस्टिस की सिफारिश करता है।

कौन हैं शरद अरविंद बोबडे

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर उन्होंने 12 अप्रैल, 2013 को कार्यभार संभाला है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के बाद जस्टिस बोबडे ही सबसे वरिष्ठ जज हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कॉन्फ्रेंस के बाद बार काउंसिल ने जस्टिस चेलमेश्वर से बात करने के लिए जस्टिस बोबडे से ही बात की थी।

जस्टिस बोबडे के कुछ बड़े फैसले

जस्टिस शरद बोबडे उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने आदेश दिया कि आधार कार्ड न रखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को सरकारी फायदों से वंचित नहीं किया जा सकता है। मई, 2018 में जब कर्नाटक में चुनाव हुए और किसी को बहुमत नहीं मिला, तो राज्यपाल ने बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलाया।

मनमोहन सिंह के बयान पर घिरी कांग्रेस

» भाजपा ने 370 पर झूठ बोलने का लगाया आरोप

नई दिल्ली (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मसले पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ताजा बयान पर कांग्रेस घिर गई है। भाजपा ने मनमोहन सिंह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है।

दरअसल मुंबई में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान 370 पर कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड पूछे जाने पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब आर्टिकल 370 पर बात हुई, जब यह बिल पार्लियामेंट में आया तो कांग्रेस ने इसके हक में वोट दिया, विरोध नहीं किया। विरोध सिर्फ बिल लाने के तौर-तरीकों पर था। अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर संसद में कांग्रेस की तरफ से तीखी बहस करने वाले वरिष्ठ नेता और आनंदपुर साहिब सांसद मनीष तिवारी पूर्व में कांग्रेस का इस मुद्दे पर आधिकारिक स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने बीते सात अगस्त को एक टीवी चैनल से बताया था कि कांग्रेस ने दोनों सदनों में अनुच्छेद 370 हटाने के संकल्प और जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में बंटवारे के बिल के खिलाफ वोट दिया था। मनीष तिवारी ने तब कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बकायदा इसको लेकर लिखित में प्रस्ताव पास कर पार्टी का आधिकारिक स्टैंड साफ कर चुकी है।

ऐसे में अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच मुंबई की प्रेस कांफ्रेंस में मनमोहन सिंह की ओर से मनीष तिवारी के विपरीत दावा करने के बाद कांग्रेस के आधिकारिक स्टैंड को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि पांच अगस्त को जब सरकार ने 370 हटाने की पहल की थी, तब कांग्रेस नेताओं की राय बंट गई थी, वहीं अन्य नेता इसका विरोध कर रहे थे। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार को सुबह ट्वीट कर कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से झूठ बोलवाने का आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई दूसरी बार फटकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। योगी आदित्यनाथ की सरकार को सर्वोच्च अदालत की जारी तल्खी के बीच दूसरी बार फटकार सुननी पड़ी। अभी एक मुस्लिम लड़की की याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुने एक महीना भी नही बीता था, कि देश की सर्वोच्चय अदालत ने योगी सरकार को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों के प्रशासन से जुड़े मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जंगलराज है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां के वकीलों को पता ही नहीं है कि किस नियम के तहत काम किया जा रहा है। कोर्ट ने इसके साथ ही पूछा कि उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत मंदिर और उसके संस्थाओं की निगरानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ये भी पूछ कि सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी अदालत में मौजूद क्यों नहीं है।

मुख्तार अंसारी के बेटे के घर से मिला हथियारों का जखीरा, यूपी व दिल्ली पुलिस ने की छापेमारी

लखनऊ (आरएनएस)। यूपी पुलिस ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के दिल्ली स्थित घर से कई विदेशी-देसी असलहे व हजारों कारतूस बरामद किए हैं। छापेमारी में लखनऊ पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी शामिल थी। पुलिस गुरुवार को सारे असलहे लखनऊ ले आई। लखनऊ क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अब्बास अंसारी के वसंत कुंज के बंगले से यह बरामदगी की है।

बरामद असलहों में इटली, आस्ट्रिया और स्लोवेनिया मेड रिवाल्वर, बंदूक और कारतूस शामिल हैं। इटली और स्लोवेनिया से खरीदी गई डबल बैरल और सिंगल बैरल गन भी है। इसके अलावा मैग्नम की रायफल, अमेरिका मेड रिवाल्वर, आस्ट्रिया की स्लाइड और ऑटो बोर पिस्टल भी जब्त की गई है। आस्ट्रिया की बनी मैगजीन और साढ़े चार हजार कारतूस पुलिस को मिले हैं।